



## प्रेस नोट

दिनांक 08.12.2025

### थाना मुस्करा पुलिस द्वारा नाजायज गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.12.2025 को थाना मुस्करा पुलिस द्वारा बसवारी -मौदहा मार्ग बहद ग्राम बसवारी जनपद हमीरपुर से अभियुक्त को एक प्लास्टिक की बोरी में नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 282/2025 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर बनाम अभियुक्त प्रियांशु उर्फ गोलू महाराज पुत्र मोहन प्रकाश पचौरी के विरुद्ध पंजीकृत कर मा0 न्यायालय हमीरपुर भेजा गया।

#### अभियुक्त का विवरण

प्रियांशु उर्फ गोलू महाराज पुत्र मोहन प्रकाश पचौरी (उम्र करीब 25 वर्ष) निवासी ग्राम बसवारी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर ।

#### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0-07/2021 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर।
- मु0अ0सं0-78/21 धारा 147, 148, 149, 270, 323, 341, 504, 506 आईपीसी ।
- मु0अ0सं0-34/2025 धारा 351(3), 352 आईपीसी थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर ।
- मु0अ0सं0-12/2024 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना डकोर जनपद जालौन ।
- मु0अ0सं0-282/2025 धारा 8/20 NDPS Act थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर ।

#### बरामदगी का विवरण:-

5.280 किग्रा अवैध सूखा गांजा बरामद होना ।

#### गिरफ्तार करने वाली टीम -

- उ0नि0 राजीव कुमार साहू
- उ0नि0 दिनेश प्रसाद,
- हे0का0 कमलेश यादव,
- का0 आकाश कुमार,
- का0 नरेन्द्र सिंह

